भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 966
उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025
21 माघ, 1946 (शक)

ओलंपिक खेल, 2036 की मेजबानी

966. श्री दीपक अधिकारी (देव) :
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ओलंपिक खेल, 2036 की मेजबानी के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओलंपिक खेल की मेजबानी के लिए खेल अवसंरचना पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ओलंपिक खेल की मेजबानी के लिए भारत की तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञों के साथ कोई सहयोग या परामर्श कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) : भारत में ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाना भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की जिम्मेदारी है। आईओए ने दिनांक 1.10.2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) को एक आशय पत्र जारी किया है, जिसमें 2036 में भारत में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने की भारत की इच्छा व्यक्त की गई है।

(ग) और (घ) : भारतीय खिलाड़ियों और टीमों की तैयारी और प्रशिक्षण हेतु खेल अवसंरचना और खेल सुविधाओं का संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। "खेल" राज्य का विषय होने के कारण, खेल की अवसंरचना और सुविधा के निर्माण और विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य की सरकारों का है। तथापि, राज्य सरकारों को खेल परिसर, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी मैदान,

सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान, बहुउद्देशीय हॉल, स्विमिंग पूल आदि जैसी खेल अवसंरचना के लिए खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। राज्यों में निर्मित/विकसित खेल अवसंरचना का विवरण, जिसके लिए मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की है, मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

खेलो इंडिया स्कीम - इस मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों में से एक है जिसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेल उत्कृष्टता हासिल करके जनता के क्रॉस कटिंग प्रभाव के माध्यम से इसकी शक्ति का उपयोग करने का अवसर प्रदान करना है। यह युवाओं के बीच खेलों के व्यापक आधार और पूरे देश में खेल गतिविधियों के संवर्धन पर केंद्रित है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण और एक्सपोजर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलें की गई हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त अकादमियों में खेलो इंडिया एथलीटों का प्रशिक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त, ये एथलीट विभिन्न मंचों पर राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उनकी क्षमताएँ बढ़ती हैं और भविष्य की राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए देश की बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होती है।

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) 12 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु देश भर में निम्नलिखित खेल प्रोत्साहन स्कीमें लागू करता है-

- राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई)
- साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)
- एसटीसी का विस्तार केंद्र
- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)

साई की उपरोक्त खेल संवर्धन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए एनसीओई, एसटीसी, एसटीसी के विस्तार केंद्र आदि सहित कुल 187 साई केंद्र कार्यशील हैं। वर्तमान में, 9555 प्रतिभाशाली एथलीटों को आवासीय और गैर-आवासीय आधार पर 34 खेल विधाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है। चयनित एथलीटों को अनुमोदित स्कीम मानदंडों के अनुसार विशेषज्ञ कोच, खेल उपकरण, बोर्डिंग और लॉजिंग, खेल किट, प्रतियोगिता एक्सपोजर, शैक्षिक व्यय, चिकित्सा/बीमा और वजीफा के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) और (च) : आईओसी में एक समर्पित निकाय, फ्यूचर होस्ट कमीशन (एफएचसी) है, जो इस मामले को देखता है। इच्छुक राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (एनओसी) को ओलंपिक खेलों के विशिष्ट संस्करण की मेजबानी के अधिकार के लिए एफएचसी के साथ संवाद शुरू करना होता है । भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), जो भारत के लिए एनओसी है, ने एफएचसी के साथ संवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

****